राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट-IV जयपुर, दिनांक :12.05.2011

12 MAY 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय एवं टास्क के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.4.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में लेख है कि गत कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से तापमान में अत्यधिक वृद्धि तथा उसके परिणाम स्वरुप श्रमिकों की कार्य क्षमता में ह्रास होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है अन्यथा श्रमिकों में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना है। भीषण गर्मी में कार्य करने से तापघात एवं मृत्यु तक हो सकती है। अतः ऐसी घटनाओं को निवारित करने के लिए यह आवश्यक है कि नरेगा श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से इस सबंध में राहत प्रदान की जावे।

उक्त परिदृश्य में दिनांक 11 मई, 2011 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका में उल्लेखित विभिन्न टास्क दरों में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती एवं कार्य समय में 4 घंटे की छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है अर्थात नरेगा के तहत निर्धारित टास्क दर, ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित टास्क दरों का 50 प्रतिशत रहेगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थल पर नियोजित मेट द्वारा कार्यो का संचालन इस प्रकार किया जावें कि श्रमिक प्रातः 6 बजे से कार्य करते हुए बिना अवकाश अंतराल के 10 बजे तक उक्त निर्धारित टास्क पूर्ण कर घर लौट सके। यह व्यवस्था 13 मई, 2011 से लागू होगी एवं 30 जून, 2011 तक अथवा मानसून आने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव,ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग,जयपुर।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुत, समस्त(राजस्थान)।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय (मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद समस्त(राजस्थान)।
6. निदेशक एवं उप सचिव, जन-संपर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसे समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

12/5/2011.
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव,ईजीएस

D:\RN Mehta\TASK & TIME doc11 40 44 AM5/12/2011